न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : नानू राम सैनी (आर.ए.एस)

खाद्य सुरक्षा परिवाद संख्या 25/2023

प्रार्थी/परिवादी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण/गैरसायल–**
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर।		1. हेमसिंह पुत्र खेतसिंह, जाति भाटी, निवासी खिवालीयासरा, नोसर बायतु। (मैसर्स आईनाथ ट्रेडिंग, एन एच 15 मारूती सुजुकी ऐजेन्सी के पास, बायतु) विक्रेता व मालिक 2. दिनेश आर्य प्रोपराईटर एवं खाद्य अनुज्ञापत्रधारक ऑफ फर्म मैसर्स वरूण बेवरेज लिमिटेड, रिको इण्डिस्ट्रियल एरिया, फेस–3 बोरानाडा जोधपुर।

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थितिः–

1. श्री अभियोजन अधिकारी, बाड़मेर प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री देवीसिंह महेचा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से उपस्थित।
3. श्री प्रेमराज पंवार, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से उपस्थित।

–ःआदेशः–

दिनांकः– 04.09.2024

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा **धारा 26** की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा **52** खाद्य और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि **अप्रार्थी संख्या 01** की फर्म **मैसर्स आईनाथ ट्रेडिंग, एन एच 15 मारूती सुजुकी ऐजेन्सी के पास, बायतु** पर निरीक्षण **दिनांक 20.03.20223** के दौरान आमजन को विक्रय हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ **रेडी टू सर्व फ्रुट बेवरेज ट्रोपिकाना**

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा

200 एमएल (बड़े फ्रिज में रखे हुए) में मिलावट का शक होने पर नियमानुसार **200 एमएलX5X4** बोतलों को वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–1934** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **रेडी टू सर्व फ्रुट बेवरेज ट्रोपिकाना 200 एमएल (बड़े फ्रिज में रखे हुए)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **रेडी टू सर्व फ्रुट बेवरेज ट्रोपिकाना 200 एमएल (बड़े फ्रिज में रखे हुए)** का नमूना जांच उपरांत रिपोर्ट **L.S./716/Act/2023/757 दिनांक 01.04.2023 में उक्त नमूना (Misbranded Food)** पाया गया है। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर **अप्रार्थीगण** को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा **52** के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. **अप्रार्थीगण** को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। **अधिवक्तागण अप्रार्थी संख्या 01 व 2** की ओर से उपस्थित हुए। **अधिवक्तागण अप्रार्थी संख्या 01 व 02** द्वारा सुनवाई के दौरान लिखित में जवाब पेश किये गये जिसका अध्ययन किया गया। अध्ययन उपरांत लिखित जवाब कोई ठोस एवं तथ्यपरक प्रतिरक्षण प्रस्तुत करने में सही प्रतीत नहीं होते है।

3. हमने प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। अवलोकन उपरांत पाया कि **अप्रार्थीगण** द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से संबंधित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। **अप्रार्थी संख्या 01** के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य प्रयोगशाला जोधपुर की जांच उपरांत रिपोर्ट **L.S./716/Act/2023/757 दिनांक 01.04.2023 में उक्त नमूना (Misbranded Food)** पाया गया है। इस पर यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस **अप्रार्थीगण** को जवाब हेतु तलब किया गया। **अधिवक्ता अप्रार्थीगण**

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा

ने बहस उपरांत निवेदन किया कि उक्त नमूना **निम्न स्तर (Misbranded Food)** पाये जाने के लिए प्रथम अपराध मानते हुए नरम रूख अपनाया जाकर न्यूनतम जुर्माना से दण्डित किया जाए। इस प्रकार **अप्रार्थी संख्या 01** की फर्म से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना **(Misbranded Food)** का पाया जाने से खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों की सम्पूर्ण पालना किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है। लिहाजा खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट से **अप्रार्थीगण** के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा **52** के तहत जुर्म प्रमाणित है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत **अप्रार्थीगण** के विरूद्ध अपराध धारा **52** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से **अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02** पर संयुक्त रूप से **रुपये 35,000/– अक्षरे रुपये पैंतीस हजार मात्र** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। **अप्रार्थीगण** उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर संबंधित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश दिनांक **04.09.2024** को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नानू राम सैनी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा